निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 200 / 2018

तारीख दायरा 05.07.2018

उनवान

1.सीताराम नागर आयु 39 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

2.जीतमल नागर आयु 37वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

3.बद्रीलाल आयु 35 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

4.नरेन्द्र नागर आयु 33 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

—वादीगण

बनाम

1.मांगीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

2.द्वारकाबाई आयु 58 वर्ष पत्नि श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत धारा 88,89,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनॉक :– 10.12.2020

श्री चेतन प्रकाश सुमन (वकील प्रतिवादी)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1ता 2 की पुश्तेनी आराजियात माल ग्राम पालक्या तहसील सांगोद में स्थित है जो निम्न प्रकार है–

माल ग्राम मण्डीता की जमा बन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
102	98	405	1.62
		कुल किता 1	1.62 हैक्टर

माल ग्राम पालक्या की जमाबन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
36	33	121	0.14
		171	0.01
		172	0.01
		173	0.85
		186	2.82
		198	1.05
		कुल किता 6	4.88 हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को वादीगण के दादा जी स्वर्गीय रामनाथ पुत्र ..... जाति धाकड निवासी पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राज. से प्राप्त हुई है, जिसको वादीगण व प्रतिवादी क्रम. 1 संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं, प्रतिवादी क्रम 2 वादीगण की मॉ है व प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नि है। प्रतिवादी नं.3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद है।

उक्त वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की पुश्तेनी आराजी है जिसमें वादीगण 1 ता 4 प्रतिवादी नं.1 के हिस्से आराजी में बहक पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पिता की सम्पति में बराबर के हकदार होने से वादीगण वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीगण का नाम खाते में प्रतिवादी नं.1 के हिस्से में बराबर का हिस्सेदार होने से अपना–अपना हिस्सा खाते में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ही प्रतिवादी नं.1 व 2 की सेवा सुषुक्षा कर रहे है और वादीगण का विवाह भी प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा ही सम्पन्न करवाया है और आज भी वादीगण व प्रतिवादी 1 व 2 एक ही परिवार के निवासी है, वादीगण अपने परिवार की और अपने बच्चों की परवरिश व अपने परिवार का गुजर बसर उक्त वर्णित आराजी में निहित अपने हिस्से को शान्ति पूर्वक काश्त करके परिवार चलाते आ रहे थे परन्तु इस वर्ष वादीगण द्वारा फसल कटवाने के लिए जाने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी को फसल काटने से मना कर दिया। वादीगण ने बहुत समझाया लेकिन आराजी मे हिस्सा देने से इनकार कर दिया और सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने कही और बेचने पर आमादा है तथा आराजी से बेदखल करने की कही। वादीगण ने प्रतिवादी न.1 से अपने बच्चों की पढाई लिखाई व अन्य कृषि आराजी को काश्त करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने की कही परन्तु प्रतिवादी नं.1 द्वारा वादी की एक नहीं सुनी। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी नं. 2 से कहने पर प्रतिवादी नं. 2 ने भी असमर्थता जताई वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 से इस वर्ष राजस्व लोक अदालत शिविर कुन्दनपुर में दिनांक 8/5/2018 को चलने की कही लेकिन प्रतिवादी 1 ता 2 दोनों शिविर में उपस्थित नहीं हुए इस कारण वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना अनिवार्य होने से वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वर्णित आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी की उपज को बेचकर बच्चों की पढाई लिखाई व ईलाज व कृषि आराजी को काश्त करने के लिए रूपयों की आवश्यकता है। वादी द्वारा उक्त आराजी की फसल बेचकर रूपये देने की कही तो प्रति वादी क्रम 1 ने साफ मना कर

उपखण्ड अधिकारी

दिया और कहा मेरे खाते की आराजी में मेरी मर्जी में आयेगी वही करूंगा और सहयोग करने से साफ मना कर दिया। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी कम 2 से कहने पर उसने भी सहयोग करने से इन्कार कर दिया। वादीगण पटवारी हलका के पास शिविर में अपना नाम खाते में दर्ज करवाने के लिए गये तो पटवारी हलका ने अदालत से आदेश लाने की कहने पर वादीगण के पास दावा प्रस्तुत करने के अलावा कोई उपाय नहीं है।

वाद कारण दिनांक 8/5/2018 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादी का कोई सहयोग नहीं करने पर उत्पन्न हुआ है और प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी को आराजी में निहित हिस्से से मौके से बैदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है ।

अतःवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के विरूद्व निम्न आशय की डिकी सादिर पारित फरमाई जावें कि:—

माल ग्राम मण्डीता की जमा बन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
102	98	405	1.62
		कुल किता 1	1.62 हैक्टर

माल ग्राम पालक्या की जमाबन्दी संख्या

नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
36	33	121	0.14
		171	0.01
		172	0.01
		173	0.85
		186	2.82
		[illegible]	1.05
		कुल किता 6	4.88 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पुश्तैनी आराजी में वादीगण [illegible] 1/5—1/5 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा साथ ही राजस्व रिकार्ड में वादीगण 1 ता 4

उपखण्ड अधिकारी

व प्रतिवादी नं.1 के नाम को यानि की प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से में दर्ज किया जावें। यदि दौराने दावा प्रतिवादी नं.1उक्त वर्णित आराजी को अन्यत्र खुर्द बुर्द करदे तो पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जावें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश कर राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। वकील वादी द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा, ग्राम पंचायत कुंदनपुर द्वारा प्रमाणित वारिस पहचान प्रमाण पत्र, जमाबंदी आदि के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

उक्त पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन व मनन करने पर मैं वादी का वाद स्वीकार करने योग्य समझती हूँ जो कि स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम मण्डीता की खाता सं. नई 104 पुरानी 98 खसरा नं.405 की 1.62 है. तथा माल ग्राम पालक्या की खाता सं. 44 पुरानी 36 की 6 किता की कुल 4.88 है. पुश्तैनी आराजी में वादीगण को 1/5–1/5 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक–पृथक दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। राजीनामा अनुसार रहन भार सभी हिस्सों पर दर्ज रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 200/2018

तारीख दायरा 05.07.2018

उनवान

1.सीताराम नागर आयु 39 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

2.जीतमल नागर आयु 37वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

3.बद्रीलाल आयु 35 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

4.नरेन्द्र नागर आयु 33 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

–वादीगण

बनाम

1.मांगीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

2.द्वारकाबाई आयु 58 वर्ष पत्नि श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम पालक्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

दावा बाबत धारा 88,89,209 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनॉक :- 10.12.2020

श्री चेतन प्रकाश सुमन (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम मण्डीता की खाता सं. नई 104 पुरानी 98 खसरा नं.405 की 1.62 है. तथा माल ग्राम पालक्या की खाता सं. 44 पुरानी 36 की 6 किता की कुल 4.88 है. पुश्तैनी आराजी में वादीगण को 1/5-1/5 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में राज लगान पृथक-पृथक दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। राजीनामा अनुसार रहन भार सभी हिस्सों पर दर्ज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को खुले न्यायालय में [illegible] कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.05.06 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद